(6)

संख्याः 957 /XVIII(II)/2011–1(92)/2009

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 19 अप्रैल,2011

विषयः–जम्पिन एडवैन्चर्स प्रा0 लि0 को साहसिक खेल परियोजना हेतु, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल में 0.634 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–3952/8–एल0ए0सी0–2009–10, दिनांक–10 .3. 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, जम्पिन एडवैन्चर्स प्रा0 लि0 को साहसिक खेल परियोजना हेतु, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल में 0.634 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154 (4)(3)(क)(II)के अन्तर्गत तथा पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में, जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा –129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (साहसिक खेल परियोजना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– आवेदक संस्था द्वारा साहसिक पर्यटन सम्बन्धी प्रश्नगत प्रकार की परियोजना की स्थापना व संचालन आदि के संबंध में, भारत सरकार द्वारा बनाये गये किन्ही नियमों/दिशा निर्देशों तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू किये जाने वाले विनियमों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– परियोजना स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक वन भूमि/राजस्व भूमि के हस्तांतरण/लीज पर लिये जाने, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा नियमों में वांछित अन्य कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

9– सम्बन्धित परियोजना, आवेदक ईकाई द्वारा, अपने स्वयं के संसाधनों से स्थापित/संचालित की जायेगी तथा इस हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वार कोई आर्थिक सहायता नही दी जायेगी।

10– स्थापित की जाने वाली पर्यटन ईकाई में सृजित होने वाले रोजगार के अवसरों में से 70 प्रतिशत पर उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान किया जायेगा।

11– संस्था द्वारा, परियोजना के संचालन में सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी

15– सम्बन्धित आवेदक संस्था द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

16– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, यथाशीध्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डा0राकेश कुमार)

सचिव।

पृ0प0सं0–957/समदिनांकित 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।